राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प 7 (53) परि/नियम/मु0/06/पार्ट–II/29755 जयपुर, दिनांक : 13/08/2009

कार्यालय आदेश 05/2009

विषय :–नियम विरूद्व डीजल फ्यूल टैंक की क्षमता बढाने वाले ट्रकों के विरूद्व कार्यवाही के संबंध में।

सामान्यतः ट्रकों में मूल डीजल टैंक की क्षमता 250–300 लीटर होती है। केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 126 के तहत प्रत्येक वाहन निर्माता को उसके द्वारा निर्मित वाहन का प्रोटोटाईप अनुमोदन उक्त नियम में विर्निदिष्ठ जांच एजेन्सी से करवाना आवश्यक है। जांच एजेन्सी उक्त मॉडल के वाहन के फ्यूल टैंक की क्षमता भी अनुमोदित करती है। नियमानुसार मूल फ्यूल टेंक की क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि पडोसी राज्य में डीजल की कम दर होने के कारण कतिपयः ट्रक मालिकों ने अपने वाहनों के डीजल टैंक में बदलाव कर टेंक की क्षमता 800 लीटर तक की कर ली है। इसके अतिरिक्त अनेक ट्रकों में नियम विरूद्व अतिरिक्त फ्यूल टेंक वाहन के दूसरी तरफ लगा रखा है। डीजल टेंक में परिवर्तन करना नियम विरूद्व होने के साथ ही असुरक्षित भी है। वृद्विकृत फ्यूल टेंक क्षमता होने के कारण वाहन स्वामी डीजल की अधिकांश खरीद राजस्थान राज्य के बाहर से करता है तथा इससे राज्य में डीजल की बिक्री प्रभावित होती है एवं राज्य सरकार को डीजल पर मिलने वाले वैट की राजस्व हानि होती है।

अतः उपरोक्त संबंध में निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. वाहन को यांत्रिक फिटनेस के समय जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन में अनुमोदित क्षमता वाला ही फ्यूल टेंक लगा हो तथा कोई अतिरिक्त फ्यूल टैंक वाहन में नहीं लगा हो।
2. यदि चैकिंग के दौरान किसी वाहन के मूल फ्यूल टेंक में परिवर्तन पाया जावे अथवा वाहन में अतिरिक्त फ्यूल टेंक लगा पाया जावे तो निरीक्षक द्वारा उपरोक्त वाहनों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। राज्य के सभी कर संग्रह केन्द्रों पर पदस्थापित निरीक्षकगण उपरोक्त वर्णित वाहनों की विशेष रूप से जांच करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा संबंधित निरीक्षक/अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परिवहन आयुक्त एवं
पदेन शासन सचिव

Deklop/document/Deepak/G.D.Agrawal

क्रमांक :– प 7 (53) परि/नियम/मु0/06/पार्ट–II 2956 जयपुर, दिनांक : 13/03/2

प्रतिलिपिः–

1. समस्त प्रादेशिक/अति0 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ....
2. समस्त जिला परिवहन अधिकारी ....
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....
4. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र...................................
5. समस्त निजी फिटनेस सेन्टर ....
6. रक्षित पत्रावली ।

13/3/09

उपायुक्त (नियम)

Dektop/document/Deepak/G.D.Agrawal